संख्या - 007/वी.जी.एल/057
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 25.05.2009

परिपत्र संख्या 11/05/09

विषय: आयोग द्वारा बैंकों की सतर्कता लेखा परीक्षा में सामान्य प्रेक्षण ।

आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों की सतर्कता लेखा परीक्षा संचालित की थी तथा लेखा परीक्षा के दौरान कुछ सामान्य प्रेक्षण ध्यान में आए थे जिन्हें सूचना तथा आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों/प्रबंधन के ध्यान में निम्नानुसार लाया लाया जा रहा है :-

1. प्रधान कार्यालयों में बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता विभाग तथा जेडओ/आरओ/सीओ में तैनात सतर्कता अधिकारी या तो संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों में प्राप्त शिकायतें प्राप्त नहीं करते, अथवा प्राप्त सभी शिकायतें उनको प्रस्तुत नहीं की जाती । स्पष्ट सतर्कता पहलू वाली शिकायतें मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को नहीं भेजी गईं तथा शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले संबंधित विभागों द्वारा निष्पादित कर दी गई थी । सभी बैंक को एक तंत्र का विकास करने की आवश्यकता है जिससे मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी/सतर्कता विभाग बैंक में प्राप्त ऐसी सभी शिकायतों के बारे में जान पाएं ताकि वे सतर्कता पहलू अथवा अन्य का निर्धारण कर सके । ऐसी व्यवस्था उपयुक्त होगी जिसमें एचओ/जेडओ/आरओ/सीओ द्वारा प्राप्त शिकायतों का सारांश नियमित अंतराल में, संवीक्षा तथा कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए ।

2. बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को महत्वपूर्ण सूचना/निविष्टियां, एक संरचित तरीके से प्राप्त नहीं होती जैसे i) क्विक मोर्टालिटी बोरोअल अकाउन्टस(Quick mortality borrowal accounts) ii) शाखा निरीक्षण करते समय आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा दल द्वारा भेजे गए विशेष पत्र/रिपोर्ट iii) निरीक्षण के वर्गीकरण में, शाखा का नाम तथा निरीक्षण रिपोर्ट जिसको 'असंतोषजनक' वर्ग में डाल दिया है तथा iv) चयन के आधार पर ओटीएस का विवरण जिसको विशेष रूप से उच्च मूल्य लेखा में दर्ज किया गया है । नियमित आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारी को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था/तंत्र को उचित प्रकार से रखने की आवश्यकता है ।

3. एनपीए/क्विक मोर्टालिटी बोरोअल अकाउन्टस हो गए लेखों के संबंध में उत्तरदायित्व को तय करने के संबंध में सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्राप्त नहीं हो रही है । उत्तरदायित्व तय करने अथवा अन्यथा तथा ऐसे मामलों की चयनशील परीक्षा हेतु निरीक्षण के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को नियमित अंतराल में ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बैंक को एक संरचित प्रपत्र तैयार करने की आवश्यकता है ।

4. बहुत से मामलों में, एनपीए की पहचान/वर्गीकरण में तथा उत्तरदायित्व तय करने में भी अत्यधिक विलंब देखा गया तथा ऐसे विलंब पर कोई प्रभावकारी निगरानी नहीं थी । यह भी देखा गया था कि कुछ बैंक ने "कट ऑफ" राशि तय की जिसके नीचे किसी उत्तरदायित्व की जांच नहीं की जाती ।

ना केवल उत्तरदायित्व की जांच करने के लिए बैंक को एक प्रभावकारी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है अपितु यह निगरानी करने के लिए भी कि उत्तरदायित्व की तुरंत जांच की गई है । इसके अतिरिक्त, उत्तरदायित्व तय करने के लिए कोई कट ऑफ सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत उधार खाते में उत्तरदायित्व छोटा हो सकता है परंतु सामूहिक रूप से सम्मिलित राशि अधिक हो सकती है ।

5. कुछ बैंकों में आंतरिक सलाहकार समिति की कार्यपद्धति, संतोषजनक नहीं पाई गई तथा सामान्यत: आंतरिक सलाहकार समिति का दृष्टिकोण उदार होता है तथा कई बार यह यथार्थवादी/वस्तुनिष्ठ नहीं होता । बैंक आंतरिक सलाहकार समिति को "नोट" प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को सूत्रबद्ध करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि उचित चर्चा तथा "सतर्कता पहलू" निर्धारित करने में निर्णय को सरल बनाने के लिए यह सारणीबद्ध फार्मेट में मामले के सार को कवर करे ।

6. कुछ बैंक में जेडओ/आरओ में तैनात सतर्कता अधिकारी पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होते जिसकी वजह से कर्मचारी, सतर्कता अधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते । सभी बैंकों को मुख्य सतर्कता अधिकारियों से परामर्श करके उचित दिशानिर्देश सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है तथा बैंकों में उचित तथा प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्मिक पर्याप्तता को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

7. आरोप-पत्र जारी करने/मामलों के निष्पादन में विलंब देखा गया है यद्यपि मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने मामले पर शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित डीए/आईए से अनुवर्तन किया । बैंक अनुशासनिक कार्रवाई के विभिन्न स्तरों में विलंब को दूर करने के लिए आईए/डीए को उचित दिशानिर्देश जारी करें । मुख्य सतर्कता अधिकारी इसकी नियमित आधार पर निगरानी करें ताकि इनका समय पर निष्पादन होना सुनिश्चित हो ।

8. अन्वेषण करने में, आरोप-पत्र तैयार करने में, जांच कार्यवाहियां चलाने में तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण देने में घटिया गुणवत्ता संबंधी उदाहरण देखे गए हैं । अन्वेषण अधिकारियों, जांच प्राधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए बैंक को उचित दिशानिर्देशों को जारी करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, इन अधिकारियों को समय समय पर पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध/प्रदान करने की भी आवश्यकता है ।

9. कुछ बैंकों द्वारा नीति प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से स्टाफ का स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है । यह देखा गया था कि कुछ कर्मचारी/स्टाफ लंबे समय से एक ही स्थान/शाखा/कार्यालय में बने रहते हैं । जारी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बैंक को प्रभावकारी कदम उठाने की आवश्यकता है ।

ह0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी